

परिषद की

मेरठ जोन

के अन्तर्गत मेरठ, सहारनपुर, बड़ौत,
खतौली, हापुड़ तथा गाजियाबाद में
आवासीय/व्यवसायिक सम्पत्तियों का

आवंटन/नीलामी

आवंटन/नीलामी
तिथि:

25.10.2018

समय

11.00 बजे

(नीलामी स्थल : सेक्टर-16 ए, कनवेन्शन सेन्टर, वसुन्धरा, गाजियाबाद)



IS 15700:2005



सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वसुन्धरा योजना/सिद्धार्थ विहार/मण्डोला विहार योजना गाजियाबाद में रिक्त आवासीय/अनावासीय सम्पत्तियों को प्राप्त करने का सुनहरा अवसर

वसुन्धरा योजना, गाजियाबाद, सेक्टर- 15, शिखर एन्वलेव : आवासीय सम्पत्तियाँ

सम्पत्ति की संख्या/आरक्षण श्रेणी	भूखण्डों की संख्या	क्षेत्रफल (व.मी.में)	आरक्षित दर (रु.) प्र.व.मी.	टोकन धनराशि (रु.)
2बीएचके (छठे तल से नवे तक) (अनारक्षित)	12	106.21	7196600.00	360000.00

वसुन्धरा योजना, गाजियाबाद, सेक्टर-4सी: एफ-37 प्रकार की 4 मंजिले दुर्बल आय वर्ग आवासीय सम्पत्तियाँ

भूखण्ड की श्रेणी/संख्या/प्रकार	भूखण्डों की संख्या	क्षेत्रफल (व.मी.में)	आरक्षित दर (रु.) प्र.व.मी.	टोकन धनराशि (रु.)
4सी/4222 (तृतीय तल) (अनारक्षित)	-----	37.00	2084000.00	104500.00
4सी/4217 (तृतीय तल) (अनारक्षित)	-----	37.00	2084000.00	104500.00

सिद्धार्थ विहार योजना, गाजियाबाद ब्रह्मपुत्र एन्वलेव के निरस्तीकरण से रिक्त चार मंजिले (आवासीय सम्पत्तियाँ)

भूतल	59	47.73	2716120.00	135900.00
प्रथम तल	31	47.73	2294120.00	114800.00
द्वितीय तल	41	47.73	2247120.00	112400.00
तृतीय तल	67	47.73	2201120.00	110100.00

मण्डोला विहार योजना, गाजियाबाद : आवासीय व दुर्बल आय वर्ग फ्लैट (105 नग)

सम्पत्ति का प्रकार	क्षेत्रफल वर्ग मी.	तल	धनराशि (रु. लाख में)	पंजीकरण धनराशि 05 प्रतिशत	एकमुश्त धनराशि 10 प्रतिशत
दुर्बल आय वर्ग	28.41	चार मंजिले	5.55	28000.00	55500.00

नोट:- विविध शुल्क आदि देय अलग से होगा।

सिद्धार्थ विहार योजना के गंगा यमुना हिण्डन अपार्टमेंट

सम्पत्ति श्रेणी	फ्लैटों की संख्या	क्षेत्रफल (व.मी.में)	कुल मूल्य (लाख में)	टोकन धनराशि (लाख में)	एक माह के अन्दर देय धनराशि (लाख में)	शेष 80 प्रतिशत धनराशि 11.5 प्रतिशत ब्याज सहित 120 मासिक किश्तें
-----------------	-------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------------------	---

हिण्डन अपार्टमेंट

1 बीएचके	34	41.66 से 42.68	42.86	4.30	4.30	अवशेष की 120 किश्तें
2 बीएचके	122	66.64 से 67.39	65.61	6.60	6.60	तदैव

यमुना अपार्टमेंट

03 बीएचके	122	108.32	85.36	8.54	8.54	तदैव
2 बी.एच.के. + स्टडी	175	97.47 से 98.30	78.00	7.80	7.80	तदैव

मण्डोला विहार योजना, गाजियाबाद : व्यवसायिक हॉल (03 नग)

हॉल संख्या तथा आरक्षण श्रेणी	सम्पत्ति की संख्या	क्षेत्रफल	आरक्षित मूल्य	टोकन धनराशि (रु. में)
4ए/एच-1 व्यवसायिक हॉल (सामान्य)	02	96.09	6200500.00	620500.00
4ए/एच-2 व्यवसायिक हॉल (सामान्य)		86.82	5602500.00	560500.00
5ए/एच-1 व्यवसायिक हॉल (सामान्य)	01	62.92	4507000.00	450700.00

मण्डोला विहार योजना, गाजियाबाद : व्यवसायिक भूखण्ड

भूखण्ड संख्या तथा आरक्षण श्रेणी	भूखण्डों की संख्या	क्षेत्रफल (व.प्र.मी.)	आरक्षित दर (रु.) प्र.व.मी.	टोकन धनराशि (रु.)
17/कॉम-1 (कार्नेर) (सामान्य)	1	150.09	56672.00	851000.00
17/कॉम-2 (सामान्य)	1	150.36	51520.00	775000.00
17/कॉम-1 (सामान्य)	1	149.31	51520.00	770000.00
17/कॉम-1 (सामान्य)	1	149.60	51520.00	771000.00

मण्डोला विहार योजना, गाजियाबाद : आवासीय भूखण्ड

81 से 170 वर्ग मी0 तक (सामान्य)	49	150.09	2524480.00 से 4173120.00	126300.00 से 208700.00
170 वर्ग मी0 से अधिक (सामान्य)	410	150.09	5152000.00 से 6800640.00	257600.00 से 340100.00

मण्डोला विहार योजना, गाजियाबाद : आसरा तथा सपना एन्वलेव के आवासीय प्लैट (आवंटन से)

सम्पत्ति का प्रकार	क्षेत्रफल वर्ग मी.	तलवार	धनराशि (रु. लाख में)	पंजीकरण धनराशि 05 प्रतिशत	एकमुश्त धनराशि 10 प्रतिशत
आसरा - 1 (1242 नग)	33.59	भूतल	12.67	63500.00	126700.00
		प्रथम तल	11.44	57500.00	114400.00
		द्वितीय तल	11.30	56500.00	113000.00
		तृतीय तल	11.16	56000.00	111600.00
आसरा - 2 (249 नग)	47.73	भूतल	20.51	103000.00	205100.00
		प्रथम तल	18.30	91500.00	183000.00
		द्वितीय तल	18.06	90500.00	180600.00
		तृतीय तल	17.81	89500.00	178100.00
सपना - 1 (166 नग)	64.72	भूतल	35.39	177000.00	353900.00
		प्रथम तल	32.40	162000.00	324000.00
		द्वितीय तल	32.06	160500.00	320600.00
		तृतीय तल	31.73	159000.00	317300.00
सपना - 2 (211 नग)	86.04	भूतल	46.62	233500.00	466200.00
		प्रथम तल	42.63	213500.00	426300.00
		द्वितीय तल	42.18	211000.00	421800.00
		तृतीय तल	41.74	208700.00	417400.00

वसुन्धरा योजना, गाजियाबाद में विस्थापित श्रेणी के किसानों को नीलामी के माध्यम से आवंटित किये जाने वाले छोटे व्यावसायिक भूखण्डों की सूची

वसुन्धरा योजना, गाजियाबाद : छोट व्यावसायिक भूखण्ड (136 नग)				
भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	आरक्षित मूल्य (प्र.व.मी.)	कुल मूल्य	उच्चतम बोलीदाता द्वारा 10 प्रतिशत टोकन धनराशि जो 15 दिवसों में देय होगी (पंजीकरण धनराशि रु. 5000.00 के समायोजन के उपरान्त जमा करनी होगी)
3/SP-1, 2, 3, 4, 5, 6(C), 7(C), 8, 9. 10, 11, 12	15.99 से 26.11	114688.00 से 126157.00	1833861.00 से 3293959.00	178386.00 से 324396.00
4B/SP-1 (C), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 (C), 11(C), 12, 13, 14, 15	17.050 से 23.375	127008.00 से 139709.00	2165486.00 से 3718794.00	211549.00 से 366879.00
4/SP-1, 2, 3, 4, 5, 6 (C), 7 (C), 8, 9. 10, 11, 12, 13 (C), 14, 15, 16, 17, 18 (C), 19 (C), 20, 21, 22, 23, 24 (C), 25 (C), 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 (C), 34 (C), 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 (C), 43 (C), 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 (C), 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 (C), 67 (C), 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 (C), 91 (C), 92, 93, 94 (C)	16.50	127008.00 से 139709.00	2095632.00 से 2305199.00	204563.00 से 225520.00
6/SP-1 (C), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (C), 11 (C), 12, 13, 14, 15	17.050 से 23.375	127008.00 से 139709.00	2165486.00 से 4311287.00	211549.00 से 426129.00

- (1). नीलामी में भाग लेने हेतु पंजीकृत विस्थापित किसान को नीलामी के आवेदन पत्र के साथ मूल रूप में पंजीकरण प्रमाण-पत्र व चालान की मूलप्रति प्रस्तुत करने पर ही नीलामी हेतु टोकन प्राप्त कर नीलामी में भाग ले सकेंगे।
- (2). नीलामी स्थल पर केवल पंजीकृत आवेदक ही नीलामी हॉल में प्रवेश के पात्र होंगे। उक्त के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति को नीलामी स्थल पर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
- (3). उच्चतम बोलीदाता को सम्पत्ति के आरक्षित मूल्य का 10 प्रतिशत, जिसमें पंजीकरण धनराशि रु0 5000. 00 समायोजन के उपरान्त शेष धनराशि बोली की तिथि से अगले 15 बैंक कार्य दिवस में परिषद द्वारा अधिकृत एच0डी0एफ0सी0 बैंक, सैक्टर-15, वसुन्धरा, गाजियाबाद के खाता सं0-50200027589241 में बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा कर उसकी सूचना कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
- (4). निर्धारित अवधि में 10 प्रतिशत धनराशि जमा न होने की दशा में पंजीकरण धनराशि रु0 5000.00 व उस पर अर्जित ब्याज जब्त करते हुए पंजीकरण व नीलामी निरस्त कर दी जायेगी।
- (5). मूल पंजीकृत आवेदक द्वारा दी गयी नीलामी की बोली ग्राह्य होगी। विशेष दशा में पंजीकृत व्यक्ति अपने स्थान पर अपने खून के रिश्ते में किसी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है, जिसके लिये उन्हें परस्पर पहचान हेतु अधिकार पत्र के साथ पहचान पत्र यथा आधार कार्ड, वोटर आई डी कार्ड, पैनकार्ड व अन्य आईडी प्रूफ जिससे खून के रिश्ते की पुष्टि हासे सके, प्रस्तुत करना होगा।

- (6). नगद क्रय पर सम्पत्ति का भुगतान करने की दशा में कुल मूल्य का भुगतान प्रदेशन-पत्र निर्गत होने के तीन माह के भीतर करने, निर्धारित दर से देय स्टाम्प प्रस्तुत कर विक्रय-विलेख निष्पादित कराने के उपरान्त नियमानुसार कब्जा देय होगा। किस्त क्रय पर भुगतान किये जाने की दशा में कुल मूल्य का 50 प्रतिशत धनराशि व विविध व्यय की धनराशि प्रदेशन-पत्र निर्गत होने के तीन माह के भीतर एवं निर्धारित दर से देय स्टाम्प पर अनुबन्ध निष्पादित कराने के उपरान्त कब्जा प्रदान किया जायेगा। शेष 50 प्रतिशत धनराशि 4 वर्ष की 48 मासिक किश्तें 11 प्रतिशत ब्याज सहित देय होंगी। विलम्ब से भुगतान करने पर नियमानुसार दण्ड ब्याज देय होगा।
- (7). नीलामी हेतु उपलब्ध सम्पत्तियों का विवरण, संक्षिप्त नियम व शर्तें तथा नीलामी में सम्मिलित होने का आवेदन-पत्र रु. 100.00 का भुगतान कर सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, सेक्टर-16 ए, वसुन्धरा काम्पलेक्स, वसुन्धरा, गाजियाबाद से प्राप्त किया जा सकता है।
- (8). सम्पत्तियों के निर्माण के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी वास्तुविद् नियोजक इकाई-5, वसुन्धरा, गाजियाबाद से प्राप्त की जा सकती है। सम्पत्तियों पर किसी प्रकार का निर्माण परिषद से विधिवत् मानचित्र स्वीकृत कराने के उपरान्त ही किया जा सकता है।
- (9). नीलामी हेतु उपलब्ध सम्पत्तियों की संख्या/क्षेत्रफल में कमी व वृद्धि संभावित है। सम्पत्तियां 'जहाँ है, जैसे हैं' के आधार पर नीलाम की जायेंगी। नीलामी स्वीकृत हो जाने के बाद सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।
- (10). प्राप्त उच्चतम मूल्य के अनुसार सम्पत्ति के कुल मूल्य के अतिरिक्त विविध शुल्क के मद में देय धनराशियों का भुगतान करने व निर्धारित दर से देय स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत करने पर ही विलेखों का निष्पादन कर कब्जा प्रदान किया जायेगा।
- (11). विस्थापित श्रेणी के पंजीकृत आवेदकों के मध्य नीलामी माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में निर्णीत याचिका संख्या-16355/2018 में पारित आदेश के अनुपालन में की जा रही है।
- (12). आवास आयुक्त महोदय को बिना कोई कारण बताये नीलामी किसी भी बोली को अस्वीकृत करने का अधिकार होगा।
- (13). विवाद की दशा में आवास आयुक्त महोदय का निर्णय अन्तिम व बाध्यकारी होगा।

नीलामी के माध्यम से निस्तारित होने वाली व्यवसायिक सम्पत्तियां

मंगल पाण्डेय नगर योजना संख्या - 1, मेरठ : नव विकसित व्यवसायिक भूखण्ड सेक्टर-02 (03 नग)

सम्पत्ति की श्रेणी /प्रकार	क्षेत्रफल व.मी. में	भूमि दर फ्री होल्ड सहित प्र.व.मी	आरक्षित मूल्य प्रति नग	टोकन मनी की धनराशि
SCP-2/1 (GEN)	48.24	78848.00	3803628.00	380363.00
SCP-2/2 (GEN)	45.15	78848.00	3559987.00	355999.00
SCP-2/3 (GEN)	56.61	78848.00	4463585.00	446359.00

शास्त्रीनगर नगर योजना संख्या -3, मेरठ : व्यवसायिक भूखण्ड आई ब्लाक (04 नग)

आई.एस. - 116	156.00	53760.00	8386560.00	838656.00
आई.एस. - 116/2	128.00	53760.00	6881280.00	688128.00
आई.एस. - 184	181.60	53760.00	9762816.00	976282.00
एल-1185/2 (C)	77.76	59136.00	4598415.00	459842.00

उपरोक्त सम्पत्तियों में एफ.ए.आर., ग्राउण्ड कवरेज प्रतिशत तथा उपविधि के अनुसार अधिकतम ऊँचाई 10.50 है।

शास्त्रीनगर नगर योजना संख्या -3, मेरठ : दुकानों के ब्लाक (11 नग)

K-1	8.062	-----	1160000.00	116000.00
K-2, 3, 4, 12, 15, 16	9.099	-----	1309350.00	130935.00
K-17, 18, 22, 25	8.131	-----	1169900.00	116990.00

माधवपुरम योजना संख्या - 10, मेरठ : 80 व.मी. तक नवविकसित व्यवसायिक भूखण्ड, सेक्टर-1 (07 नग)

1/CP-8(GEN), 1/CP-9 (GEN) 1/CP-10(GEN), 1/CP-11 (GEN) 1/CP-12 (GEN), 1/CP-16 (GEN), 1/CP-20 (GEN)	78.00	36960.00	2882880.00	288288.00
---	-------	----------	------------	-----------

माधवपुरम योजना संख्या - 10, मेरठ : 100 से 300 व.मी. तक नवविकसित व्यवसायिक भूखण्ड , सेक्टर-1 (02 नग)

सम्पत्ति की श्रेणी /प्रकार	क्षेत्रफल व.मी. में	भूमि दर फ्री होल्ड सहित प्र.व.मी	आरक्षित मूल्य प्रति नग	टोकन मनी की धनराशि
1/CP-13(GEN)(C)	110.50	40656.00	4492488.00	449249.00
1/CP-17(GEN)(C)	117.00	40656.00	4756752.00	475675.00

माधवपुरम योजना संख्या - 10, मेरठ : 100 से 300 व.मी. तक नवविकसित व्यवसायिक भूखण्ड , सेक्टर-3 (01 नग)

3F-488/1 (SC)	173.52	36960.00	6413299.00	641400.00
---------------	--------	----------	------------	-----------

उपरोक्त सम्पत्तियों में एफ.ए.आर., ग्राउण्ड कवरेज प्रतिशत तथा अधिकतम ऊँचाई उपविधि के अनुसार है।

नीलामी के माध्यम से आवंटित की जाने वाली आवासीय सम्पत्तियां

**शाकुम्भरी विहार (मवीकलॉ योजना संख्या-8), सहारनपुर:
67/162 प्रकार सेमी फिनिशड उच्च आय वर्ग भवन (03 नग)**

सम्पत्ति की संख्या तथा आरक्षण श्रेणी	क्षेत्रफल व.मी. में	भूमि दर प्र.व.मी	आरक्षित मूल्य (रु. लाख में)	टोकन मनी (रु. लाख में)
3D-48 (GEN) (C)	189.62	-----	45.19	2.26
3D-49 (GEN)	166.50	-----	38.83	1.94
3D-51 (GEN)	166.50	-----	38.83	1.94

अशोक विहार योजना, खतौली 80 वर्ग मी. से बड़ा आवासीय भूखण्ड (01 नग)

A-129	264.00	10080.00	26.61	1.33
-------	--------	----------	-------	------

अशोक विहार योजना, खतौली 53/127 प्रकार मध्यम आय वर्ग भवन (01 नग)

D-128 (GEN)	127.50	-----	24.08	1.20
-------------	--------	-------	-------	------

चरण विहार योजना, बड़ौत दुर्बल आय वर्ग भवन (01 नग)

2C-238	40.32	-----	10.96	0.55
--------	-------	-------	-------	------

नोट : (1) दुर्बल आय वर्ग भवन हेतु आवेदक की पूर्व वित्तीय वर्ष में वार्षिक आय रु. 1,00,000/- जिसमें उसकी पत्नी व नाबालिग बच्चों की आय (यदि कुछ हो) भी सम्मिलित होगी, से अधिक नहीं होनी चाहिए, जिसकी पुष्टि हेतु आवेदक को अपने प्रार्थना पत्र के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत नवीनतम आय प्रमाण – पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी। (2) आरक्षित वर्ग की सम्पत्ति में आवेदक करने हेतु आवेदक को सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत अपना आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण – पत्र की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करनी अनिवार्य होगी।

माधवपुरम योजना संख्या-10, मेरठ : 80 व.मी. से अधिक आवासीय भूखण्ड (01 नग)

सम्पत्ति की श्रेणी / प्रकार	क्षेत्रफल व.मी. में	भूमि दर प्र.व.मी	आरक्षित मूल्य (लाख में)	टोकन मनी (रु. लाख में)
2/264 (SC)	171.00	18480.00	3160080.00	316100.00

संजय विहार योजना संख्या -2, हापुड़ : 100 व.मी. से अधिक आवासीय भूखण्ड (01 नग)

51	117.45	13440.00	1578528.00	157860.00
----	--------	----------	------------	-----------

आवंटन के माध्यम से निस्तारित होने वाले आवासीय भूखण्ड

माधवपुरम योजना संख्या-10, मेरठ : 80 व.मी. तक के आवासीय भूखण्ड (05 नग)

सम्पत्ति की श्रेणी / प्रकार	क्षेत्रफल व.मी. में	भूमि दर प्र.व.मी	आरक्षित मूल्य (लाख में)	टोकन मनी (रु. लाख में)
4/87 (GEN), 4/95 (GEN Sr. Citizen) 4/97 (GEN), 4/101 (GEN), 4/106/1 (OBC)	25.20	18480.00	465696.00	23300.00

नीलामी के माध्यम से निस्तारित होने वाली व्यवसायिक सम्पत्तियां

पठानपुरा योजना संख्या - 1 (विवेक नगर), सहारनपुर : दुकान (02 नग)

सम्पत्ति की संख्या /श्रेणी / प्रकार	क्षेत्रफल व.मी. में	भूमि दर प्र.व.मी	आरक्षित मूल्य (लाख में)	टोकन मनी (रु. लाख में)
S-19	9.62	-----	6.08	0.61
S-20	14.196	-----	8.89	0.89

शाकुम्भरी विहार (मवीकलॉ योजना संख्या-8) सहारनपुर, व्यवसायिक भूखण्ड (02 नग)

3D/CP-02	321.30	30240.00	97.16	9.72
3D/CP-03	324.90	30240.00	98.25	9.82

उपरोक्त सम्पत्तियों में एफ.ए.आर. 1.75, गाउण्ड कवरेज प्रतिशत 40% तथा अधिकतम ऊँचाई उपविधि के अनुसार है।

शाकुम्भरी विहार (मवीकलॉ योजना संख्या-8) सहारनपुर : प्रीमियम हाउसिंग भूखण्ड (04 नग)

3A-149 (GEN)	300.00	22680.00	68.04	6.80
3B-178 (GEN)	300.00	22680.00	68.04	6.80
3D-08 (GEN)	300.00	22680.00	68.04	6.80
3D-10 (GEN)	300.00	22680.00	68.04	6.80

उपरोक्त सम्पत्तियों में एफ.ए.आर. 1.50, गाउण्ड कवरेज प्रतिशत 55% तथा अधिकतम ऊँचाई उपविधि के अनुसार है।

नोट : (1) प्रीमियम हाउसिंग भूखण्डों (प्री.हा.भू.) में भविष्य में अतिरिक्त शुल्क लेकर उनके भू-तल पर ही व्यवसायिक गतिविधियाँ निम्न प्रतिबन्धों के साथ एवं तत्समय लागू नियमों के अनुसार अनुमत्य की जा सकती है। (क) भूखण्डों में सब डिविजन/विक्रय अनुमत्य नहीं होगा। (ख) भविष्य में भू-तल पर व्यवसायिक गतिविधियाँ हेतु स्वयं के अतिरिक्त की दशा में अनुमति सक्षम स्तर से प्राप्त की जानी आवश्यक होगी। (ग) प्रीमियम भूखण्डों में मानचित्र स्वीकृति शुल्क व पार्किंग की गणना प्रस्तावित आवासीय एवं व्यवसायिक क्षेत्रफल के सापेक्ष परिषद के नियमानुसार अलग-अलग गणना की जायेगी। (घ) इन भूखण्डों में केवल तीन तल ही अनुमत्य होंगे व बेसमेंट की गणना तलों में की जायेगी केवल भू-तल पर ही व्यवसायिक प्रयोग अनुमत्य होगा। बेसमेंट प्रयोग केवल भण्डारण/पार्किंग हेतु ही किया जा सकेगा। (च) भविष्य में क्रय योग्य एफ.ए.आर. इन भूखण्डों पर अनुमत्य नहीं होगा।

अशोक विहार योजना, खतौली, व्यवसायिक भूखण्ड (10 नग)

B.COM2, B.COM-3, B.COM-4 B.COM-5 (C), B.COM-6 (C), B.COM-7, B.COM-8, B.COM-9	78.20 से 166.35	21580.00 से 23740.00	16.88 से 36.79	1.69 से 3.68
--	--------------------	-------------------------	-------------------	-----------------

उपरोक्त सम्पत्तियों में एफ.ए.आर. 1.20, गाउण्ड कवरेज प्रतिशत 40% तथा अधिकतम ऊँचाई उपविधि के अनुसार है।

--: मुख्य नियम व शर्तें :--

- (1) आवेदन/सीलड बिड फार्म सम्बन्धित शहर/योजना के सम्पत्ति प्रबंध कार्यालय से रु.100/- जमा कर प्राप्त किया जा सकता है।
- (2) आवंटन/नीलामी के माध्यम से निस्तारित होने वाली आवासीय सम्पत्तियों पर सम्पत्ति के मूल्य का 5 प्रतिशत तथा व्यवसायिक सम्पत्तियों के मूल्य का 10 प्रतिशत का बैंक ड्राफ्ट/RTGS/NEFT के माध्यम से, जो 'उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद' के नाम तथा सम्बन्धित शहर में देय हो, आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र निर्धारित प्रारूप पर बैंक ड्राफ्ट एवं आवश्यक शपथ – पत्र सहित आवंटन की तिथि से दो दिन पूर्व तथा नीलामी हेतु सीलड बिड नीलामी की तिथि से एक दिन पूर्व तक संबंधित स्थानीय कार्यालय में दी जा सकती है अथवा नीलामी के दिन नीलामी प्रारम्भ होने के पूर्व टोकन प्राप्त कर खुली बोली में भाग लिया जा सकता है।
- (3) जाति प्रमाण-पत्र उ.प्र. शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर उ.प्र. शासन द्वारा नियुक्त सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिये।
- (4) सम्पत्तियों का विस्तृत विवरण तथा नियम/शर्तों की जानकारी सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबंध कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है एवं परिषद की वेबसाइट <http://www.upavp.com> पर Public Notice के अन्तर्गत देखी जा सकती है।
- (5) किसी भी विवाद की स्थिति में आवास आयुक्त का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

--: नीलामी हेतु प्रमुख शर्तें :--

- (1) व्यवसायिक सम्पत्तियों में एफ.ए.आर. संस्थागत भूखण्ड, नर्सिंग होम, सामुदायिक केन्द्र भूखण्डों में एफ.ए.आर. एवं सम्पत्ति के बारे में विस्तृत जानकारी सम्पत्ति प्रबंध कार्यालय, गाजियाबाद से प्राप्त की जा सकती है।
- (2) सम्पत्तियों का आवंटन/नीलामी शासनादेश / परिषद के प्रदेशन सम्बन्धी विनिमय व आदेशों के अनुरूप सम्पन्न की जायेगी। इच्छुक क्रेताओं को अनावासीय / आवासीय सम्पत्तियों के आरक्षित मूल्य की टोकन धनराशि उपरोक्तानुसार एवं कार्यालय से सम्पर्क स्थापित कर तदानुसार बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक अथवा पे-ऑर्डर जो कि उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद गाजियाबाद के पक्ष में देय हो आवेदन फार्म भरकर खुली नीलामी में भाग ले सकते हैं, सीलड बिड कार्यालय कार्य दिवस में नीलामी से एक दिन पूर्व तक सम्पत्ति प्रबंध कार्यालय गाजियाबाद में दी जा सकती है। टोकन दिनांक 16.07.2018 को प्रातः 10:00 बजे से नीलामी प्रारम्भ होने से पूर्व तक निर्गत किये जायेंगे। संस्थागत भूखण्डों की नीलामी में केवल संस्थाओं द्वारा ही प्रतिभाग किया जा सकता है। सम्पत्तियों की संख्या में कमी तथा क्षेत्रफल में कमी व वृद्धि हो सकती है।
- (3) व्यवसायिक भूखण्डों में आरक्षित श्रेणी के आवेदको द्वारा उ.प्र. सरकार के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति नीलामी से पूर्व आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- (4) सम्पत्तियों की एफ.ए.आर. आदि की जानकारी वास्तुविद नियोजक इकाई – 5, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, नीलगिरी काम्प्लैक्स, इन्दिरानगर, लखनऊ से प्राप्त की जा सकती है।
- (5) आवासीय सम्पत्तियों के आवेदको को अपने आवेदन पत्र के साथ इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि उनके पति/पत्नी/अवस्यक बच्चों के पास कोई भवन/भूखण्ड गाजियाबाद शहर में नहीं है तथा उ.प्र. के किसी अन्य नगर में एक से अधिक भवन/भूखण्ड नहीं है। विज्ञापन व्यय प्राप्त उच्चतम बोली का 0.25 प्रतिशत अलग से लिया जायेगा। सम्पत्ति का कब्जा श्रेणी में वॉछित एकमुश्त धनराशि जमा होने के उपरान्त शासनादेश के अनुसार देय स्टाम्प ड्यूटी जमा करने पर पंजीकृत अनुबंध के माध्यम से दिया जायेगा। आवेदन पत्र रु. 100.00 का भुगतान कर सम्पत्ति प्रबंध कार्यालय सेक्टर-16ए, वसुन्धरा काम्प्लैक्स हाल एस-1, गाजियाबाद से प्राप्त कर सकते हैं तथा आवंटन से दो पूर्व अपरान्ह 3:00 बजे तक सहमति प्रार्थना पत्र कार्यालय में जमा कर सकते हैं। सम्पत्ति का आवंटन नीलामी सम्पन्न होने के उपरान्त किया जायेगा। आवंटन स्थल पर आवंटन हेतु आवेदन पत्र ग्राह्य नहीं है, ऐसे आवेदन पत्रों को आगामी आवंटन में शामिल किया जा सकेगा। आसरा, सपना, गंगा, हिण्डन परियोजनाओं में पार्किंग शुल्क, कापर्स फण्ड जी.एस.टी. पृथक से कब्जा पूर्व देय होगी।
- (6) मण्डोला विहार योजना गाजियाबाद में चार नग नवविकसित व्यवसायिक भूखण्डों का आरक्षण किया जायेगा एवं रिक्त आवासीय भूखण्डों का भी आरक्षण किया जायेगा।
- (7) दुर्बल आय वर्ग हेतु आवेदक की गत वित्तीय वर्ष 2018-19 की वार्षिक आय रु. 100000.00 के अन्तर्गत होनी चाहिए, उ.प्र. निवासी होना चाहिए। आय के सम्बन्ध में उ.प्र. सरकार द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा व रु. 10.00 के स्टाम्प पेपर पर गाजियाबाद में कोई भवन/भूखण्ड न होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। मण्डोला योजना के सभी भवनों के तलों का मूल्य समान हैं एवं सिद्धार्थ विहार योजना के ई.डब्ल्यू.एस. फ्लैटों का तलवार विवरण अलग-अलग है। सम्पत्ति का आवंटन लाटरी ड्रा द्वारा किया जायेगा एवं सम्पत्ति का कब्जा 10 प्रतिशत एकमुश्त लेने के बाद दिया जायेगा। शेष धनराशि का भुगतान 9.5 प्रतिशत ब्याज सहित 120 किश्तों में देय होगा।
- (8) किसी भी विवाद की दशा में आवास आयुक्त (म.) का निर्णय अन्तिम तथा बाध्यकारी होगा।

आवास आयुक्त

विस्तृत जानकारी के लिये कृपया परिषद के



पर सम्पर्क करें या परिषद की वेबसाइट
पर लॉगिन करें।

IS 15700:2005



सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ.

वेबसाइट : <http://www.upavp.in> ई-मेल : info@upavp.com

